N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0031 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 14/02/2025 19:13 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 12/02/2025 **Date To (दिनांक तक):** 13/02/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 14:00 बजे **Time To (समय तक):** 14:45 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 14/02/2025 **Time (समय):** 16:30 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 14/02/2025 19:13:49 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 80 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** KARYALAY UP PANJIYAK, BAHADURPUR ALWAR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):** ALWAR(RAJASTHAN)

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** JAGMOHAN SAINI

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** BANWARI LAL SAINI

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1987 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	KATORI WALA TIBARA, RAISIS, ALWAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	KATORI WALA TIBARA, RAISIS, ALWAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DINESH MEENA		पिता:TEJLAL MEENA	1. HALL KANISHATH SAHAYAK,RAGISTRI DELAVARI LIPIK,KARYALAY UP PANJIYAK,BAHADURPUR,ALWAR,RAJASTHAN,INDIA
2	YATENDRA KUMAR		पिता:MANOHAR LAL	1. HALL SAHAYAK PRASHASNIK,ADHIKARI UP PANJIYAK,BAHADURPUR,ALWAR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	आरोपी से 15000 रुपये रिश्वत राशि बरामद की गई ।	15,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 15,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

हालात मुकदमा इस प्रकार है कि दिनांक 11.02.2025 को वक्त 03.50 पीएम पर श्री मनोज कुमार सैनी पुत्र श्री राधेश्याम सैनी निवासी अपना घर शालीमार अलवर ने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से मन् उप अधीक्षक पुलिस परमेश्वर लाल के मोबाईल पर कॉल कर बताया कि मेरे जीजा श्री जगमोहन सैनी निवासी कटोरी वाला तिबारा रायसीस अलवर ने बहादुरपुर जिला अलवर में एक प्लॉट क्रय किया है। उक्त प्लॉट की रजिस्ट्री दिनांक 31.01.2025 को उप तहसील बहादुरपुर में करवाई थी। मैं व मेरा जीजा जगमोहन सैनी मूल रजिस्ट्री लेने हेतु आज दिनांक 11.02.2025 को उप तहसील बहादुरपुर में उपं पजीयन भानुश्री के पास जाकर मिले तो उसने प्लॉट को कामिर्सियल बताकर 68,000/-रूपये चालान के जरिये जमा करवाने की कही, एवं कहा कि मेरे बाबू से मिल लो वो आपको रास्ता बता देगा। फिर हम पंजीयन लिपिक से मिले तो उन्होनें 15,000/-रूपये रिश्वत देने की कही, रिश्वत के रूपये नहीं देने पर 68,000/-रूपये जमा करवाने के बाद ही रजिस्ट्री देने की कही, मेरे जीजा ने निवेदन किया कि हमारा प्लॉट कामर्सियल नहीं है, किंतु पंजीयन लिपिक रजिस्ट्री देने की एवज में 15,000/-रूपये की मांग की। फिर श्री मनोज कुमार सैनी को परिवादी श्री जगमोहन सैनी से वार्ता करवाने की कही तो श्री जगमोहन सैनी ने उपरोक्त तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि मैं उपं पजीयन भानुश्री एवं पंजीयन लिपिक को रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ। बल्कि रिश्वत लेते हुए उन्हे रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। परिवादी के उक्त कथन पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने ट्रैप कार्यवाही की सम्पूर्ण विभागीय प्रक्रिया से अवगत कराते हुए एसीबी कार्यालय भिवाडी में उपस्थित आने हेतु कही तो परिवादी श्री जगमोहन सैनी ने अवगत कराया कि हमारी फूलों की दुकान है, आप वाईस रिकार्डर के साथ दिनांक 12.02.2025 को किसी कार्मिक को भिजवा देना। मैं रिश्वती मांग का गोपनीय सत्यापन करवा दुँगा। परिवादी को गोपनीयता बरतने एवं दिनांक 12.02.2025 को वक्त 10.00 एएम पर अपनी फूलों की दुकान पर मिलने की हिदायत दी गई। दिनांक 12.02.2025 को समय करीब 06.00 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने श्री राजवीर सिंह कानि0 को परिवादी द्धारा बताये गये तथ्यो से अवगत कराते हुए परिवादी के मोबाईल नम्बर देकर निर्देषित किया कि आप विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमौरी कार्ड के बहादुरपुर पहुँच कर परिवादी से सम्पर्क कर परिवादी से प्रार्थना पत्र लेकर परिवादी को डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमौरी कार्ड के सुपुर्द कर डिजीटल वाईस रिकार्डर को ऑपरेट करने की विधि समझाकर चालु कर परिवादी को सुपुर्द कर उप पंजीयक बहादुरपुर एवं उप पंजीयक लिपिक के पास भेजकर रिश्वत मांग सत्यापन करवाकर हालात से जरिये मोबाईल अवगत कराकर परिवादी को हमराह लेकर कार्यालय में उपस्थित आवें। कार्यालय की अलमारी से डिजीटल वाईस रिकार्डर निकालकर डिजीटल वाईस रिकार्डर में नया एसडी मेमौरी कार्ड सनडिस्क 32 जीबी डालकर श्री राजवीर सिंह कानि0 को ऑपरेट करने की विधि समझाकर जरिये फर्द सुपुर्द किया गया एवं रिश्वती मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु रवाना किया गया। वक्त करीब 11.45 एएम पर श्री राजवीर सिंह कानि0 ने जरिये मोबाईल वाटसअप कॉल मन उप अधीक्षक पुलिसे को बताया कि मैं आपके निर्देशानुसार परिवादी से मिला तो उनके साथ उनके साला श्री मनोज कुमार सैनी थे। परिवादी ने प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे मैने प्राप्त कर लिया है। परिवादी ने मुझे अवगत कराया कि मेरे साथ रिश्वती मांग सत्यापन हेतु मेरा साला श्री मनोज कुमार सैनी साथ जायेगा। जिस पर मैने परिवादी को डिजीटल वाईस रिकार्डर को ऑपरेट करने की विधि समझा कर परिवादी को डिजीटल वाईस रिकार्डर चालु कर सुपुर्द कर परिवादी एवं उसके साला श्री मनोज कुमार सैनी को उप पंजीयन कार्यालय में रवाना कर दिया। मैं उप पंजीयन कार्यालय के बहार ही खडा हो गया। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री जगमोहन एवं उनके साले मनोज कुमार सैनी

मेरे पास आये। मैने परिवादी से डिजीटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बंद कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। और वहा से रवाना होकर साईड में पहुँचे, परिवादी ने मुझे बताया कि उप पंजीयन भानुश्री कार्यालय में नहीं मिली। पंजीयन लिपिक एवं एक अन्य कर्मचारी से हमारी वार्ता हो गई है। उन्होनें रजिस्ट्री देने की एवज में 15,000/-रूपये रिश्वत की मांग की है, हमारे मध्य हुई वार्तालाप को मैने डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया है। परिवादी से प्राप्तशुदा डिजीटल वाईस रिकार्डर को सरसरी तौर पर सुना तो रिकार्ड वार्तालाप में रिश्वत मांगना पाया गया है। श्री राजवीर सिंह कानि0 को परिवादी श्री जगमोहन सैनी एवं मनोज कुमार सैनी को हमराह लेकर कार्यालय में आने हेतु निर्देषित किया गया। फिर वक्त करीब 02.00 पीएम मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीडा भिवाडी के नाम तहरीर जारी कर श्री सतीश कुमार हैड कानि0 को दो अधिकारी/कर्मचारी बतौर स्वतंत्र गवाह लाने हेतु रवाना किया। तत्पश्चात वक्त करीब 04.00 पीएम श्री राजवीर सिंह कानि0 एवं परिवादी श्री जगमोहन सैनी व परिवादी का साला मनोज कुमार सैनी मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित कार्यालय आये, राजवीर सिंह कानि0 ने डिजीटल वाईस रिकार्डर पेश किया, जिसे जरिये फर्द प्राप्ती प्राप्त किया गया। श्री राजवीर सिंह कानि0 ने परिवादी एवं परिवादी के साले श्री मनोज कुमार सैनी के द्धारा पेश प्रार्थना पत्र पेश किया । प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। परिवादी द्धारा दिया गया प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि "सेवा में, श्रीमान उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों भिवाडी विषय रिश्वत लेते रंगे हाथो पकडवाने बाबत। महोदय, निवेदन है कि मैने दिनांक 31.01.2025 को एक प्लाट 10ग45 कटोरी वाले तिबारा नगलारायसीस उप तहसील बहादुरपुर में रजिस्ट्री करवाई थी। मैं दिनांक 11.02.2025 को मेरी रजिस्ट्री की कॉपि लेने हेतु उप पंजीयन भानुश्री से मिला तो उसने प्लाट को कामर्सियल बताकर 68,000/-रुपये चालान के जरिये जमा करवाओ या मेरे बाबु से मिल लो, वह आपको रास्ता बता देगें, जिस पर हम पंजीयन लिपिक से मिले तो उन्होने 15,000/-रूपये रिश्वत की मागं की रिश्वत नहीं देने पर प्लाट कामर्सियल बताकर 68,000/-रूपये का चालान कटवाने की बात कही। श्रीमान मैं उप पंजीयन एवं पजींयक लिपिक उप तहसील बहादुरपुर को रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ। बल्की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ। कृप्या कानुनी कार्यवाही करे। प्रार्थी हस्ताक्षर एसडी नाम जगमोहन सैनी पुत्र श्री बनवारी लाल सैनी निवासी कटोरी वाला तिबारा रायसीस अलवर [redacted] दिनांक 12.02.2025 हस्ताक्षर मनोज कुमार सैनी s/o राधेश्याम सैनी निवासी अपना घर शालीमार अलवर [redacted] परिवादी के प्रार्थना पत्र पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी से पूछताछ की गई तो परिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वंय के हस्त लेख एवं प्रार्थना पत्र में अकिंत तथ्य सही होना बताया। कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि परिवादी श्री जगमोहन सैनी के प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र पर की गई मजिद दरियाफत व रिश्वती मांग सत्यापन रिकार्ड वार्तालाप से मामला रिश्वत मांग का पाया जाता है। अतः भानुश्री उप पंजीयन बहादुरपुर एवं लिपिक श्री दिनेश व अन्य कार्मिक के विरुद्ध ट्रैप आयोजन किया जावेगा।

तत्पश्चात वक्त 05.00 पीएम श्री सतीश कुमार हैड कानि0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीडा भिवाडी से दो कर्मचारी सर्वश्री दिनेश कुमार सैनी भू-अभिलेख निरीक्षक बीडा भिवाडी एवं श्री संदीप कुमार पटवारी बीडा भिवाडी को हमराह लेकर हाजिर कार्यालय आया। मन उप अधीक्षक पुलिस ने उक्त दोनो को कार्यालय में मौजुद परिवादी श्री जगमोहन सैनी एवं परिवादी के साला श्री मनोज कुमार सैनी से परिचय करवाया गया। परिवादी द्धारा करवाई जाने वाली ट्रैप कार्यवाही से अवगत करवाकर ट्रैप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही तो उक्त दोनों ने ट्रैप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी-अपनी सहमति प्रदान की। परिवादी द्वार प्रेषित प्रार्थना पत्र दोनों गवाहान को पढने को दिया गया। दोनों गवाहान ने प्रार्थना पत्र पढकर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। उक्त दोनों को अब तक की गई कार्यवाही से अवगत कराया गया। फिर वक्त 05.30 पीएम दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी तथा परिवादी के साले श्री मनोज कुमार सैनी के सामने मन् पुलिस उप अधीक्षक द्धारा कार्यालय की सरकारी अलमारी से वाईस रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित जिसमें परिवादी एवं परिवादी के साला श्री मनोज कुमार सैनी व आरोपी श्री दिनेश लिपिक व अन्य कार्मिक उप पंजीयन कार्यालय बहादुरपुर जिला अलवर के मध्य आज दिनांक 12.02.2025 को रूबरू हुई रिश्वत मांग सत्यापन संबंधी वार्ता रिकार्ड है को विभागीय कम्प्यूटर की मदद से चालू कराकर उसमें रिकार्ड वार्ता को टेबिल स्पीकरों की मदद से सुना व परिवादी, व परिवादी के साला मनोज कुमार सैनी तथा दोनो गवाहान को सुनाया गया जिसमें आरोपितो द्धारा परिवादी से परिवादी के प्लाट की रजिस्ट्री देने की एवज में 15,000/- रूपये की राशि की मांग करना पाया गया। उक्त वार्ता की हूबहू फर्द ट्रासक्रिप्ट श्री राजवीर सिंह कानि0 से बनवाई जाकर हिन्दी रूपान्तरण तैयार करवाया गया, वार्ताओं परिवादी श्री जगमोहन सैनी एवं मनोज कुमार सैनी द्धारा अपनी-अपनी आवाज व संदिग्ध आरोपी श्री दिनेश लिपिक व एक अन्य कार्मिक जो उप पंजीयन कार्यालय बहादुरपुर में पदस्थापित है, की आवाज की पहचान की गई। फर्द ट्रान्सक्रिप्ट एवं हिन्दी रूपातंरण श्री राजवीर सिंह कानि0 से टकंण करवाया गया। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान व परिवादी श्री जगमोहन सैनी व श्री मनोज कुमार सैनी ने सही होना स्वीकार किया। वार्ता का पैन ड्राईव बनवाने हेतु तीन खाली पैन ड्राईव मंगवायी जाकर तीनों को पैन ड्राईव SANDISK CRUZER BLADE 16GB खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर मे डले 32 जीबी मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा वार्ता को कम्प्यूटर की सहायता से मन् उप अधीक्षक पुलिस द्धारा बारी-बारी से तीन पैन ड्राईव तैयार करवाई जाकर, बाद मिलान

सही होना सुनिश्चित कर पैन ड्राईव को प्लास्टिक के कवर सहित प्लास्टिक की छोटी डिब्बी में रखवाकर पैन ड्राईव को प्लास्टिक की डिब्बी सहित तीन पृथक पृथक कपडे की थैलियों में रखकर थैलियों पर भी मार्का A-1 व A-2 तथा A-3 अंकित किया जाकर मार्क A-1 व A-2 को सील्ड मोहर कर गवाहान एवं परिवादी व परिवादी के साला श्री मनोज कुमार सैनी व सबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा तीसरे पैन ड्राईव को कपड़े की थैली मार्क A-3 को अनुसंधान हेतु पत्रावली पर अनशील्ड रखा गया । उपरोक्त कार्यवाही जरिये फर्द ट्रांसक्रिप्ट की गई। शिल्ड शुदा पैन ड्राईव मार्क A-1 व A-2 को श्री सतीश कुमार हैड कानि0 से जमा मालखाना करवाया गया। फिर परिवादी श्री जगमोहन सैनी ने मन उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि आरोपितो को रिश्वत राशी देने जाऊगां, तब मेरे साला श्री मनोज कुमार को साथ लेकर जाऊगां, क्योकि आरोपित हम दोनों से ही वार्तालाप करते है। परिवादी श्री जगमोहन सैनी एवं परिवादी के साला मनोज कुमार सैनी ने यह भी अवगत कराया कि हम रिश्वत में दी जाने वाली राशी नहीं लेकर आये है। परिवादी श्री जगमोहन सैनी व परिवादी के साला श्री मनोज कुमार सैनी को गोपनीयता रखने एवं रिश्वत में दी जाने वाली राशी 15000/-रूपये हमराह लेकर आने तथा दोनों स्वंतंत्र गवाहान श्री दिनेश सैनी भू अभिलेख निरीक्षक व श्री सदीप कुमार पटवारी को गोपनीयता रखने की हिदायत देकर दिनांक 13.02.2025 को प्रातः 07.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत देकर सकुनत के लिए रूकसत दी गई।

दिनांक 13.02.2025 को वक्त 07.00 एएम परिवादी श्री जगमोहन सैनी एवं परिवादी के साला मनोज कुमार सैनी व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री दिनेश सैनी भू अभिलेख निरीक्षक व श्री सदीप कुमार पटवारी हाजिर कार्यालय आये। परिवादी श्री जगमोहन सैनी ने बताया कि मैं आरोपितों को देने वाली रिश्वत राशी साथ लेकर आया हूँ। फिर वक्त करीब 07.30 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने रूबरू स्वतंत्र गवाहान के परिवादी श्री जगमोहन सैनी पुत्र श्री बनवारी लाल सैनी निवासी कटोरी वाला तिबारा रायसीस अलवर, को आरोपिता भानुश्री व दिनेश लिपिक व अन्य कार्मिक को रिश्वत में दी जाने वाली राशी पेश करने की कहने पर परिवादी ने अपने पास से 500-500/-रूपये के 30 नोट कुल 15,000/-रूपये भारतीय चलन मुद्रा के निकालकर मन् पुलिस उप अधीक्षक को पेश किये नोटो के नम्बर फर्द में अंकित करवाकर पेश शुदा नोटो को गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर नम्बरों का मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया। तत्पश्चात श्री रवि कुमार कानि0 से कार्यालय की अलमारी से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी मंगवाकर शीशी में से थोडा सा फिनोफ्थलीन पाऊडर श्री रवि कुमार कानि0 से एक साफ अखवार पर निकलवाकर 15,000/-रूपये के नम्बरी नोटो फिनोफ्थलीन पाऊडर भली-भांति लगवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री जगमोहन सैनी की जामा तलाशी गवाह श्री दिनेश सैनी भू अभिलेख निरीक्षक से लिवाई गई। परिवादी के पास बदन पर पहने हुये परिधान, मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद श्री रवि कुमार कानि0 से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे हुये 15,000/-रूपये के नोट सीधे ही परिवादी श्री जगमोहन सैनी की पहनी हुये कुर्ते की बाई जेब में रखवाये गये। परिवादी को समझाईस की गई कि अब वह इन पाऊडरयुक्त नोटो को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपित भानुश्री उप पंजीयक व दिनेश लिपिक एवं अन्य कार्मिक के मांगने पर ही उसे देवे तथा आरोपी द्धारा उक्त नोटो को प्राप्त करके कहां पर रखता है, इसका पूरा-पूरा ध्यान रखे और परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपितो द्धारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के पश्चात् कोई बहाना बनाकर अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर या मोबाईल फोन से मिस कॉल करने का रिश्वत स्वीकृति का इशारा बताया गया है। दोनो स्वतंत्र गवाहो को भी हिदायत दी गई कि यथा सम्भव परिवादी व परिवादी के साला श्री मनोज कुमार सैनी व आरोपितो व अन्य के मध्य में होने वाले रिश्वत के लेन-देन को देखने तथा होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करें साथ ही समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यो को भी आवश्यक हिदायतें दी गई। इसके बाद श्री सतीश कुमार हैडकानि. से एक साफ पारदर्शी प्लास्टिक डिसपोजल गिलास ट्रेप बॉक्स से निकलवाकर उसे साबुन व साफ पानी से साफ करवाकर उक्त गिलास में साफ पानी भरवाकर ट्रेप बोक्स में से सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की शीषी को निकलवाकर गवाह श्री दिनेश सैनी भू अभिलेख निरीक्षक से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर उक्त गिलास के पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नहीं बदला, साफ ही रहा। जिसे सभी हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त गिलास के अपरिवर्तित घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले श्री रवि कुमार कानि0 के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठें को डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। इस प्रकार परिवादी एवं दोनो गवाहो तथा हाजरीन को फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की प्रतिक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनोफथलीन पाऊडर की शीषी को ढक्कन बंद करवाकर श्री रवि कुमार कानि0 से कार्यालय की अलमारी में रखवाई गईं तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की शीषी को ट्रेप बोक्स में सतीश कुमार हैडकानि के मार्फत उसके हाथ साफ कराने के बाद रखवाया गया। इसके बाद श्री रवि कुमार कानि0 से गिलास के धोवन को बाहरं फिकवाया गया और काम में लिये गये अखवार एवं पारदर्शी प्लास्टिक डिसपोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा उसके दोनो हाथों को सावुन व पानी से साफ करवाया गया। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों-कांच की खाली शीषीयां मय ढक्कन, चम्मच आदि को सतीश कुमार हैडकानि. से साबुन पानी से साफ करवाकर ट्रेप बोक्स में रखवाया गया। इसके बाद दोनो गवाहान, परिवादी तथा, सतीश हैडकानि, एंव समस्त ट्रेप पार्टी

के हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये तथा मन् पुलिस उप अधीक्षक द्धारा भी अपने हाथ साबुन पानी से साफ किये । इसके बाद परिवादी श्री जगमोहन सैनी को छोडकर परिवादी के साला श्री मनोज कुमार सैनी , दोनों गवाहान एवं ट्रैप पार्टी सदस्य तथा मन् पुलिस उप अधीक्षक की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवाई गई जिसमें दोनो गवाहो के पास मोबाईल फोन तथा मन पुलिस उप अधीक्षक एवं स्टाफ सदस्यों के पास विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद परिवादी श्री जगमोहन सैनी को रिश्वत लेन-देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये विभागीय वाईस रिकार्डर मय रिश्वती मांग सत्यापन के मेमौरी कार्ड लगे सहित चालू व बन्द करने की विधि समझा कर सुपुर्द किया गया। श्री राजवीर सिंह कानि0 को हिदायत दी गई कि परिवादी को आरोपितो के पास भेजने से पूर्व डिजीटल वाईस रिकार्डर चालु कर सुपुर्द करे। उपरोक्त कार्यवाही जरिये फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट पूर्ण की गई। फर्द पर सबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। फिर वक्त 11.30 ए.एम. श्री साहिब सिंह सहायक उप निरीक्षक, श्री लल्लूराम कानि. श्रीमती मिनाक्षी मकानि0, श्री सतीश कुमार हैड कानि0 को जरिये प्राईवेट वाहन मय सरकारी लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व ट्रेप सामग्री के आगे-आगे रवाना कर मन् उप अधीक्षक पुलिस एंव परिवादी श्री जगमोहन सैनी, परिवादी का साला श्री मनोज कुमार सैनी व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री दिनेश सैनी,श्री सदींप कुमार, एवं स्टाफ के सदस्य श्री राजवीर सिंह कानि0 के जरिये राजकीय वाहन टवेरा के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु बहादुरपुर जिला अलवर के लिए रवाना होता हूँ। श्री राजवीर कानि0 को पुनः परिवादी श्री जगमोहन सैनी को सुपुर्द शुदा डिजीटल वाईस रिकार्डर आरोपितो के पास रिश्वती राशी देने हेतु जाने से पूर्व डिजीटल वाईस रिकार्डर चालु कर सुपुर्द करने की हिदायत दी गई। फिर 01.30 पीएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराही स्टाफ व गवाहान तथा परिवादी व परिवादी के साला के उपरौक्त फिकरा के रवानाषुदा बहादुरपुर उप पंजीयक कार्यालय से कुछ पहले पहुचे, वाहनों को साईड में खडा कर इमदाद हेतु एसीबी चौकी अलवर से तलविदा स्टाफ के इंतजार में मुकिम हुए। वक्त 01.45 पीएम पर एसीबी अलवर से तलविदा स्टाफ सर्वश्री भास्कर हैड कानि., सुनिता महिला हैडकानि., एंव महेश चन्द कानि. चालक जरिये निजी प्राईवेट मोटरसाईकिल से मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित आये, उक्तों को हमराह लेकर श्री साहिब सिंह सहायक उप निरीक्षक, श्री लल्लूराम कानि. श्रीमती मिनाक्षी मकानि0, श्री सतीश कुमार हैड कानि0 को जरिये प्राईवेट वाहन मय सरकारी लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व ट्रेप सामग्री के आगे-आगे रवाना कर मन् उप अधीक्षक पुलिस एंव परिवादी श्री जगमोहन सैनी, परिवादी का साला श्री मनोज कुमार सैनी व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री दिनेश सैनी,श्री संदीप कुमार, एवं स्टाफ के सदस्य श्री राजवीर सिंह कानि0 के जरिये राजकीय वाहन टवेरा के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु उप पंजीयक कार्यालय बहादुरपुर जिला अलवर के लिए रवाना होकर कार्यालय उप पंजीयक बहादुरपुर के पास बगल में स्थित हॉस्पीटल के पास पहुँचा। वाहनों एंव मोटरसाईकिल को हॉस्पीटल के सामने खाली स्थान पर खडे किये गये। फिर वक्त 02.15 पीएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री जगमोहन सैनी को सुपुर्दषुदा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर श्री राजवीर सिंह कानि. से चालू करवाकर सुपुर्द करवाकर परिवादी एंव परिवादी का साला श्री मनोज कुमार सैनी को संदिग्ध लिपिक दिनेश व अन्य कार्मिक कार्यालय उप पंजीयक बहादुरपुर के लिये रवाना कर श्री राजवीर सिंह कानि., मिनाक्षी महिला कानि., सुनिता महिला हैड कानि को परिवादी के पिछे-पिछे रवाना कर उनके पिछे-पिछे श्री लल्लूराम कानि. व स्वतंत्र गवाह श्री दिनेश सैनी को रवाना कर मन उप अधीक्षक पुलिस व स्वतंत्र गवाहान श्री सदींप कुमार, एवं स्टाफ के सदस्य श्री साहिब सिंह एएसआई के रवाना होकर परिवादी के मुकर्रर ईशारे के इंतजार में मुकिम हुऐ। फिर वक्त 02.45 पीएम पर परिवादी श्री जगमोहन सैनी ने उप पजीयंक कार्यालय से अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से कॉल कर मन् उप अधीक्षक पुलिस को रिश्वत स्वीकृति का मुकर्रर इशारा किया। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय गवाहान व हमराहियान स्टाफ के परिवादी का इशारा मिलने पर उपं पजीयन कार्यालय में प्रवेष किया। परिवादी श्री जगमोहन सैनी एवं परिवादी का साला श्री मनोज कुमार सैनी उप पजीयन लिपिकॅ/रीडर कक्ष के सामने खडे है के पास पहूचे। रूबरू गवाहान परिवादी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित अपने पास रखा गया। परिवादी से ने इशारा कर बताया कि सामने कुर्सी पर बैठा व्यक्ति श्री दिनेश मीना कनिष्ठ सहायक है। इतने में ही कार्यालय कक्ष में बाई ओर कम्प्यूटर पर बैठा व्यक्ति खडा होकर कार्यालय कक्ष से बाहर निकलकर भाग गया। जिसके बारे में पूछा तो परिवादी ने बताया कि यह वही व्यक्ति है, जो रिश्वत के लिए मुझे परेशान कर रहा था। और रिश्वत राशी की 15,000/-रूपये की मांग की थी। उक्त व्यक्ति को हमरा जाप्ता से तलाष करवाया तो वह सामने बाजार होने के कारण गलियों से ओझल हो गया। परिवादी ने बताया कि मेरे से रिश्वती राशी आज अभी श्री दिनेश मीना ने अपने हाथो से लेकर अपनी पहनी हुई जीन्स की पेन्ट की पीछे की बाई जेब में रख लिये। परिवादी के उक्त कथन पर उक्त व्यक्ति ने अपनी पहनी हुई जीन्स पेन्ट की पीछे की बाई जेब से राशी निकालकर टेबल पर रख दी। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने कार्यवाही की विडीयोग्राफी डिजीटल कैमरे में मेमौरी कार्ड BRINTON 32 जीबी डालकर शुरू करवाई गई। श्री दिनेश मीना को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना व हमराहियान गवाहान व स्टाफ का परिचय देकर आने का परियोजन बताते हुए, नाम पता पूछा तो अपना नाम श्री दिनेश मीना पुत्र श्री तेज लाल मीना उम्र 36 साल निवासी ग्राम झोपडीन पुलिस थाना व तहसील महुवा जिला दौसा, हाल कनिष्ठ सहायक/रजिस्ट्री डिलीवरी लिपिक कार्यालय उप पजीयक बहादुरपुर जिला अलवर होना बताया। उक्त कार्यालय कक्ष से अभी-अभी भागकर गये व्यक्ति के बारे में पूछा तो उक्त व्यक्ति का नाम श्री

यतेन्द्र सहायक प्रशासनिक अधिकारी/रीडर/पंजीयन लिपिक कार्यालय उप पंजीयक होना बताया। श्री दिनेश मीना से अभी-अभी परिवादी श्री जगमोहन सैनी से ली गई 15,000/-रूपये राशी के बारे में पूछा तो बताया कि श्री जगमोहन सैनी ने दिनांक 31.01.2025 को नगला रायसीस उप तहसील बहादुरपुर में एक प्लाट की एक रजिस्ट्री करवाई थी। उक्त रजिस्ट्री पर पंजीयन शुल्क 35,824/-रूपये जरिये चालान जमा करवा दिये थे। रजिस्ट्री होने के पश्चात मुझे सुश्री भानुश्री उप पजीयन ने कहा कि उक्त प्लाट को कामर्षियल में बताकर 68,000/-रूपये की रसीद और कटवाने की कहकर कुछ ले देकर रजिस्ट्री की प्रति श्री जगमोहन सैनी को दे देना। सुश्री भानुश्री उप पंजीयन ने मुझे जगमोहन की रजिस्ट्री दिनांक 12.02.2025 को दी है। उक्त रजिस्ट्री मेरे पास रखी हुई है। मैने उप पजीयक के कहने से 15,000/- श्री जगमोहन सैनी से लिये है। दिनांक 12.02.2025 को श्री जगमोहन सैनी व उनके साथ आज आया व्यक्ति जिसे मैं शकल से जानता हूँ, आये थे। मैने व यतेन्द्र सहायक प्रशासनिक अधिकारी ने सुश्री भानुश्री उप पजीयक के कहने से 15,000/-रूपये की मागं की थी। तत्पश्चात ही उक्त को रजिस्ट्री देने हेतु कही थी। आज भी श्री जगमोहन सैनी व उनके साथ आया व्यक्ति ने कार्यालय कक्ष में आकर 15,000/-रूपये हमें दिये है। तत्समय श्री यतेन्द्र सहायक प्रशासनिक अधिकारी मेरे पास ही थे। आप के आने के बाद आप को देखकर चले गये है। श्री दिनेश मीना के उक्त कथन पर मौके पर मौजुद परिवादी ने बताया कि मैंने दिनांक 31.01.2025 को एक प्लाट नगला रायसीस की उप पंजीयन बहादुरपुर में रजिस्ट्री करवाई थी। मैं दिनांक 11.02.2025 को मेरी रजिस्ट्री की प्रति लेने हेतु उप पजीयक सुश्री भानुश्री से मिला तो उसने प्लाट को कामर्शियल बताकर 68,000/-रूपये जरिये चालान जमा करवाने की कही, और कहा कि मेरे बाबू से मिल लो वह आपको रास्ता बता देगा, जिस पर हम पजीयन लिपिक एवं दिनेश मीना लिपिक से मिले तो इन्होने 15,000/-रूपये रिश्वत की मांग की उक्त मांग के अनुसरण में आज श्री दिनेश मीना एवं पजीयन लिपिक जो अभी-अभी आपको देखकर कार्यालय कक्ष से भाग गया है, के मांगने पर दिनेश मीना को दिये है । दिनेश मीना ने रिश्वती राशी अपने दाहिने हाथ में लेकर बाये हाथ से अपनी पहनी हुई जीन्स की पिछे की बाई जेब में रख लिये, और मैने आपको रिश्वत स्वीकृति का अपने मोबाईल से कॉल कर इशारा कर दिया, आप के आने के बाद इन्होनें अपनी जेब से रिश्वती राशी निकालकर टेबल पर रख दी। और पंजीयन लिपिक के बारे में आपको बताता इतने ही देर में आपको देखकर भाग गया। टेबल पर रखी रिश्वती राशी गवाहान श्री संदीप कुमार से उठवाकर दोनो गवाहान से गिनवाई गई तो 500-500/-रूपये के 30 नोट कुल 15,000/-रूपये पाये गये। नोटो के नम्बरो का विवरण फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अकिंत नम्बरो से मिलान करवाया तो नम्बर हुबहु पाये गये। उक्त नोटो को गवाह श्री संदीप कुमार के पास सुरक्षित रखवाये गये। ट्रेप बाक्स से दो पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर कार्यालय कक्ष में रखे कैम्पर से कार्यालय कक्ष मे रखी बोतल में श्री लल्लूराम कानि0 से पानी मंगवाकर दोनो गिलासों को पानी से साफ करवाकर दोनो गिलासो में पानी भरवाकर एक-एक चम्मच सोडियम कार्बानेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। एक गिलास के घोल में आरोपी श्री दिनेश मीना कनिष्ठ सहायक के दाहिने हाथ की उंगली व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे दो साफ कॉच की शीषियों में आधा- आधा भरवाकर शीषियों पर चिट चस्पा कर सील मोहर कर चिट चस्पा व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क R-1 व R-2 अंकित कर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। दुसरे गिलास के घोल में आरोपी श्री दिनेश मीना कनिष्ठ सहायक के बाये हाथ की उंगली व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे भी दो साफ कॉच की शीषियों में आधा- आधा भरवाकर शीषियों पर चिट चस्पा कर सील मोहर कर चिट चस्पा व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क L-1 व L-2 अंकित कर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री दिनेश मीना कनिष्ठ सहायक को बाजार से लोवर मंगवाकर पहनने को दिया गया एवं शिष्टाचार पूर्वक दिनेश मीना की पहनी हुई पेन्ट जिन्स जिसकी पिछे की बाई जेब में रिश्वत राशी लेकर रखी थी एवं ट्रेप पार्टी को देखकर जेब से निकालकर पहनी सामने टेबल पर रख दी थी को उतरवाकर एक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास ट्रेप बॉक्स से निकलवाकर उसे पानी से साफ करवाकर उसमें कार्यालय कक्ष के कैम्पर से भरी हुई बोतल से पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर श्री लल्लूराम कानि. से घोल तैयार करवाया गया उक्त घोल रंगहीन रहा, उक्त घोल में आरोपी दिनेश मीना की पहनी हुई जिन्स की पेन्ट की पिछे की बाई जेब को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया जिसे भी दो साफ कांच की शिशियों में आधा आधा भरवाकर शीशियों पर चिट चस्पा कर सील मोहर कर चिट चस्पा व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क P-1 व P-2 अंकित कर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। फिर ट्रेप बॉक्स से एक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकालकर उस पानी से साफ करवाकर पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर श्री लल्लूराम कानि. से घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा उक्त गिलास के घोल में एक रूई के फोवे की सहायता से आरोपित दिनेश मीणा की टेबल के उस स्थान को जहां से रिष्वति राशी बरामद हुई है को धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया जिसे भी नियमानुसार दो कांच की शिशियो में आधा आधा भरवाकर शीशियों पर चिट चस्पा कर सील मोहर कर चिट चस्पा व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क T-1 व T-2 अंकित कर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात गवाह श्री संदीप कुमार के पास सुरक्षित रखी रिश्वति राशी जो आरोपित की टेबल से बरामद हुई थी, को दोनो स्वतंत्र गवाहान से गिनवाया तो 500-500 रूपये की 30 नोट कुल 15000/-रूपये है।. उक्त नोटो के नम्बरों का मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से

दोनो गवाहान से पुनः करवाने पर नम्बर हूबहू पाये गये। नोटो के नम्बरो का विवरण फर्द में अंकित करवाकर उपरोक्त बरामद शुदा भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 30 नोट कुल 15000/- रूपये को एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर थैली पर सील्ड मोहर कर थैली के उपर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते बजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। रूई के फोवे जिससे टेबल के उस स्थान जहां से रिश्वत राशी बरामद हुई थी, के स्थान को धुलवाने में काम में ली गई है को सुखवाकर एक सफेद कपडे की थैली में सील मोहर कर थैली पर मार्क R अंकित कर थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी ली गई। आरोपित दिनेश मीना, कनिष्ठ सहायक की उतरवाई हुई जिन्स की पेन्ट जिसकी पिछे की बाई जेब में रिश्वति राशी परिवादी से लेकर आरोपी द्धारा रखी गई थी, उक्त पेन्ट की जेब को सुखवाकर पेन्ट को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर पैकिट पर मार्क P अंकित कर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी ली गई। आरोपित श्री दिनेश मीना, कनिष्ठ सहायक को परिवादी श्री जगमोहन सैनी से संबंधित रजिस्ट्री स्वयं के पास सामने टेबल से उठाकर पेश की जिसे पृथक से जरिये फर्द जप्ती अभिलेख जप्त की जावेगी। इसके बाद मन पुलिस उप अधीक्षक द्धारा परिवादी श्री जगमोहन सैनी से प्राप्त शुदा वाईस रिकॉडर को दोनों गवाहान व परिवादी व परिवादी के साले श्री मनोज कुमार सैनी की मौजूदगी में चालू कर ईयरफोन की मदद से सुना गया तो वाईस रिकॉडर में परिवादी व परिवादी के साले मनोज कुमार सैनी की आरोपीगणों के मध्य रिश्वत लेन-देन के समय की वार्ता रिकार्ड होना पाई, जिसकी ट्रांसक्रिप्ट एवं पेन ड्राईव पृथक से तैयार की जावेगी। श्री राजवीर सिंह कानि. द्धारा करवाई जा रही विडियों ग्राफी बंद करवाई गई। डिजिटल कैमरे मे लगे मैमोरी कार्ड की पृथक से जरिये फर्द पैन ड्राईव तैयार करवाकर मैमोरी कार्ड को जप्त किया जावेगा। इसके बाद आरोपी श्री दिनेश मीना, कनिष्ठ सहायक से एंव परिवादी श्री जगमोहन सैनी एवं परिवादी के साला श्री मनोज कुमार सैनी को एक साथ आमने सामने कर पूछा गया कि आपकी कोई आपसी रंजिश या दुश्मनी या कोई रूपये पैसे का लेन-देन तो बकाया नही है तो सभी ने ही अपनी अपनी स्वेच्छा से इन्कार किया। कार्यालय में उपस्थित सुश्री भानुश्री उप पंजीयक से श्री दिनेश मीना कनिष्ठ सहायक एवं यतेन्द्र सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्धारा परिवादी श्री जगमोहन सैनी से मांग की गई रिश्वत राशी 15000/- रूपये एवं मांग के अनुसरण में आज प्राप्त की गई रिष्वति राशी एवं आरोपित द्धारा बताये गये उपरोक्त कथन के बारे में पूछताछ की गई तो बताया की श्री जगमोहन सैनी सोमवार या मंगलवार को मेरे पास आया था, और उसने अपनी रजिस्ट्री की प्रति की मांग की मैने कार्यालय में कार्यरत स्टाफ को उक्त रजिस्ट्री देने की बात कही थी। तत्पश्चात श्री जगमोहन सैनी मेरे से नही मिला है। मैने हमारे कार्यालय में कार्यरत दिनेश मीणा कनिष्ठ सहायक /रजिस्ट्री डिलेवरी लिपिक को रजिस्ट्री देने की एवंज में किसी प्रकार की रिश्वत लेने के बारे में नही कहा था। रजिस्ट्री देने का कार्य रीडर/पंजीयन लिपिक यतेन्द्र सहायक प्रशासनिक अधिकारी व दिनेश मीना कनिष्ठ सहायक का कार्य है। श्री जगमोहन सैनी एवं उसके साथ आज आये व्यक्ति जब मेरे पास कार्यालय में आये थे तत्समय रजिस्ट्री हस्ताक्षर करके संबंधित डिलेवरी लिपिक को दे दी थी। उपरौक्त कार्यवाही जरिये फर्द बरामदगी रिश्वती राशी एंव हाथ धुलाई पुर्ण की गई फर्द पर सम्बधिंतों के हस्ताक्षर करवाये गये। फिर वक्त 07.00 पीएम पर आरोपी श्री दिनेश मीना कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप पंजीयक बहादुरपुर जिला अलवर ने अपनी टेबल की दराज से एक रजिस्ट्री संख्या 202501139000338 दिनांक 31.01.2025 जिसमें कुल 39 किता है। रजिस्ट्री में स्टाम्प डयुटी 23,880/-रूपये, रजिस्ट्रेषन फिस 3980/-रूपये सरचार्ज 7164/-रूपये सीएसआई 300/-रूपये, साईट इन्सफेकषन फिस 500/-रूपये इस प्रकार कुल 35,824/-रूपये रजिस्ट्री शुल्क है। उक्त रजिस्ट्री में वैल्युवेषन प्रपत्र, स्टाम्प डयूटी प्रपत्र, ईरजिस्ट्रेषन फिस रसीद प्रपत्र, ईस्टाम्प, कार्यालय रिपोर्ट, विक्रय पत्र विक्रेता श्री चन्द्रभान, क्रेता श्री जगमोहन सैनी, प्लाट का नक्सा मौका डबल प्रति में है। कार्यालय में उपस्थित सुश्री भानुश्री को तलब कर रजिस्ट्री के बारे में पूछताछ की गई तो बताया कि यह रजिस्ट्री श्री जगमोहन सैनी पुत्र श्री ओमप्रकाश सैनी के नाम से है। मौके पर मौजुद परिवादी ने बताया कि मुझे उक्त रजिस्ट्री की आवष्यकता है। अतः परिवादी को मूल रजिस्ट्री दिया जाना आवष्यक है। मूल रजिस्ट्री की फोटो प्रति करवाकर, फोटो प्रति को उप पजीयक से प्रमाणित करवाकर फोटो प्रति पर सबधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। मूल रजिस्ट्री परिवादी श्री जगमोहन सैनी को दी गई। रजिस्ट्री की प्रमाणित फोटो प्रति शामिल कार्यवाही की गई। उपरोक्त कार्यवाही जरिये फर्द पूर्ण की गई। फिर वक्त 07.30 पीएम पर वक्त रिश्वत लेन देन आरोपी श्री दिनेश मीना कनिष्ठ सहायक/रजिस्ट्री डिलीवरी लिपिक कार्यालय उप पंजीयक बहादुरपुर जिला अलवर व श्री यतेन्द्र सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय उप पजीयंक बहादुरपुर जिला अलवर के मध्य रूबरू हुई रिकार्ड वार्तालाप के रिकॉर्ड शुदा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में डले हुये मैमोरी कार्ड सहित लेपटॉप के डैस्कटॉप पर सेव कर उक्त सेव वार्ता को चालू कर टेबिल स्पीकर की मदद से रिकार्ड वाताओं को सुना ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई गई। रिकॉर्ड वार्ता लाप में परिवादी श्री जगमोहन सैनी एवं श्री मनोज कुमार सैनी द्धारा अपनी-अपनी आवाज व संदिग्ध आरोपी श्री दिनेश मीना कनिष्ठ सहायक/रजिस्ट्री डिलीवरी लिपिक व श्री यतेन्द्र सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय उप पजीयंक बहादुरपुर जिला अलवर कार्यालय उप पंजीयक बहादुरपुर जिला अलवर की आवाज की पहचान की गई। फर्द ट्रान्सक्रिप्ट एवं हिन्दी रूपातंरण श्री राजवीर सिंह कानि0 से टकंण करवाया गया। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादीगणो ने सही होना स्वीकार किया। वार्ता का पैन ड्राईव बनवाने हेतु तीन खाली पैन ड्राईव हमराह लाये ट्रैप बॉक्स से निकलवाकर तीनों पैन

ड्राईव SANDISK CRUZER BLADE 16GB खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर मे डले 32 जीबी मैमोरी कार्ड से लेपटॉप की सहायता से मन् उप अधीक्षक पुलिस द्धारा बारी-बारी से तीन पैन ड्राईव तैयार करवाई जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर पैन ड्राईव को प्लास्टिक के कवर सहित प्लास्टिक की छोटी डिब्बी में रखवाकर पैन ड्राईव को प्लास्टिक की डिब्बी सहित तीन पृथक पृथक कपडे की थैलियों में रखकर थैलियों पर भी मार्का B-1 व B-2 तथा B-3 अंकित किया जाकर मार्क B-1 व B-2 को सील्ड मोहर कर गवाहान एवं परिवादी व परिवादी के साला श्री मनोज कुमार सैनी तथा सबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा तीसरे पैन ड्राईव को कपड़े की थैली मार्क B-3 को अनुसंधान हेतु पत्रावली पर अनषील्ड रखा गया । डिजिटल वाईस रिकार्डर से 32 जीबी मेमोरी कार्ड निकालकर मेमेरी कार्ड को एक प्लास्टि की डिब्बी मे रखकर डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर थैली को सील मोहर कर मार्क SD अंकित कर थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। उपरौक्त कार्यवाही जरिये फर्द ट्रांसक्रिप्ट एवं जब्ती पैन ड्राईव रिश्वत लेन देन रिकार्ड वार्तालाप पूर्ण की गई। फिर वक्त करीब 10.00 पीएम पर आरोपी श्री दिनेश मीना कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप पंजीयक बहादुरपुर जिला अलवर को जुर्म से अवगत कराते हुए सवैधानिक अधिकारों को मध्यनजर रखते हुए जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। फिर वक्त 10.30 पीएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने आरोपित श्री दिनेश मीना कनिष्ठ सहायक/रजिस्ट्री डिलिवर लिपिक के कार्यालय कक्ष की टेबल पर रखी हुई रजिस्ट्रीया को दोनों गवाहन से चैक करवाई गयी तो कुल 58 रजिस्ट्रीया सबंधित पार्टी को डिलीवर करने हेतु रखी जाना पाई गई। उक्त रजिस्ट्री के नम्बर फर्द में अंकित करवाकर रजिस्ट्री के प्रथम एंव अंतिम पेज की फोटोप्रति करवाकर सुश्री भानुश्री उप पंजीयन से प्रमाणित करवाकर प्राप्त की गई। मूल रजिस्ट्रीयॉ उप पंजीयक को संबंधितो को डिलीवर करने हेतु सुपुर्द की गई। फिर वक्त 11.15 पीएम पर कार्यालय उप पंजीयक बहादुरपुर में बिजली की व्यवस्था सही नही होने के कारण अग्रिम कार्यवाही हेतू मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान गवाहान, स्टाफ के सदस्यों, परिवादी एंव परिवादी का साला मय गिरफ्तारषुदा आरोपी श्री दिनेश मीना कनिष्ठ सहायक व जब्तशुदा रिश्वती राशी, शील्ड शिशियों व समस्त वजह सबूत लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स के जरिये राजकीय वाहन एंव प्राईवेट वाहन तथा मोटरसाईकिल से चौकी एसीबी अलवर के लिये रवाना होकर वक्त करीब 11.40 पीएम पर चौकी एसीबी अलवर पहुँचे वजह सबूत सुरक्षित रख अग्रिम कार्यवाही षुरू की गई।

दिंनाक 14.02.2025 को वक्त करीब 12.55 एएम श्री सतीश कुमार हैड कानि. जरिये राजकीय वाहन मय चालक महेश चन्द के उपरौक्त फिकरा के रवानाशुदा गिरफ्तारशुदा आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना शिवाजी पार्क अलवर में बंद हवालात करवाकर श्री लल्लूराम कानि. को आरोपी की सुरक्षा एंव निगरानी हेतु थाना हाजा के संतरी के साथ रहने हेतु मामूर कर हाजिर आये। फिर वक्त 01.00 एएम पर परिवादी श्री जगमोहन सैनी से आरोपी श्री दिनेश मीना कनिष्ठ सहायक/रजिस्ट्री डिलीवरी लिपिक कार्यालय उप पंजीयक बहादुरपुर जिला अलवर द्धारा 15000/- रूपये रिश्वत मॉगने पर परिवादी द्धारा निर्धारित इशारा मिलने पर बरामदी रिश्वती राशी एवं हाथ धुलाई की कार्यवाही षुरू की गई थी कार्यवाही के दौरान डिजिटल कैमरे मे 32 जीबी मेमोरी कार्ड डालकर श्री राजवीर सिह कानि को वीडियोग्राफी तैयार करवाई गई थी। उक्त डिजिटल कैमरे से मेमोरी कार्ड निकालकर मेमोरी कार्ड को लेपटॉप मे कनेक्ट कर करवाई गई वीडियोग्राफी को कम्प्यूटर मे सेव करवाया गया करवाई गई वीडियो ग्राफी की तीन पेन ड्राईव 16 जीबी के बारी बारी तैयार करवाये गये । पेन ड्राईव को लेपटॉप मे सेव वीडियोग्राफी से मिलान किया गया तो मेमोरी कार्ड में हुई वीडियोग्राफी का मिलान होना पाया गया । पेनड्राईव को पृथक पृथक प्लास्टिक की डिबियो मे रखकर डीबियो को पृथक पृथक सफेद कपडे की थैली मे रखकर मार्क क्रमषः C-1, C-2, C-3.अंकित कर पेन ड्राईव मार्क C-1 व C-2 को सील मोहर कर कपडे की थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। पेन डाईव मार्क C-3.को अनुसंधान हेतु खुली अवस्था मे रखा गया। मेमोरी कार्ड 32 जीबी को एक प्लास्टिक की डिब्बी मे रखकर प्लास्टिक की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर थैली को सील मोहर कर मार्क M अंकित कर थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। उपरौक्त कार्यवाही जरिये फर्द पूर्ण की गई। फिर वक्त करीब 03.00 एएम पर ट्रेप कार्यवाही के दौरान शील्ड मोहर में काम में ली गई पीतल की ब्रांश सील नम्बर 01 जरिये फर्द नष्टीकरण श्री सतीश कुमार हैड कानि. से तुडवाकर नष्ट करवाई गई। फर्द नष्टीकरण शामिल पत्रावली की गई। वक्त करीब 10.45 एएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाह सर्व श्री दिनेश सैनी भू-अभिलेख निरीक्षक, संदीप कुमार पटवारी एंव स्टाफ के सदस्य श्री भास्कर हैड कानि व परिवादी श्री जगमोहन सैनी के घटनास्थल का नक्सा मौका एंव हालात मौका तैयार करने हेतु जरिये राजकीय वाहन मय महेश चन्द चालक कानि के घटनास्थल बहादुरपुर के लिये रवाना होकर वक्त करीब 11.45 एएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान एंव स्टाफ के सदस्य श्री भास्कर हैड कानि व परिवादी श्री जगमोहन सैनी के घटनास्थल कार्यालय उप पंजीयक बहादुरपुर पहुँचा। घटनास्थल का नक्सा मौका एंव हालात मौका परिवादी की निशांदेही में तैयार करवा कर बाद कार्यवाही घटनास्थल से रवाना होकर समय 11.00 ए.एम. पर एसीबी कार्यालय अलवर पहुँचा। परिवादी श्री जगमोहन सैनी व परिवादी का साला श्री मनोज कुमार को रूखसत दी गई।

अब तक की गई सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से आरोपित श्री दिनेश मीना पुत्र श्री तेजलाल मीना जाति मीना उम्र 36

साल निवासी ग्राम झोपडीन पुलिस थाना व तहसील महुवा जिला दौसा हाल कनिष्ठ सहायक/रजिस्ट्री डिलीवरी लिपिक कार्यालय उप पंजीयक बहादुरपुर, जिला अलवर एंव श्री यतेन्द्र सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय उप पंजीयक बहादुरपुर जिला अलवर द्धारा परिवादी श्री जगमोहन सैनी से उसके द्धारा क्रय किये गये प्लॉट की दिनांक 31.01.2025 को करवाई गई रजिस्ट्री संख्या 2025011390003368 को कॉमिर्षियल बताकर 68,000/ रूपये जमा करवाने की कह कर जमा नही करवाने पर 15,000/- रूपये रिश्वती राशी मांगने पर वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 12.02.2025 को परिवादी श्री जगमोहन सैनी एंव परिवादी के साला श्री मनोज कुमार सैनी से 15,000/-रूपये रिश्वत की मांग करना, मांग के अनुशरण में दिंनाक 13.02.2025 को आरोपित श्री दिनेश मीना कनिष्ठ सहायक/रजिस्ट्री डिलीवरी लिपिक कार्यालय उप पंजीयक बहादुरपुर जिला अलवर द्धारा 15,000/- रूपये रिश्वती राशी मांग कर ग्रहण करने पर रिश्वती राशी लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। श्री यतेन्द्र कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी /रीडर/ पंजीयक लिपिक कार्यालय उप पंजीयक बहादुरपुर जिला अलवर कार्यवाही की भनक लगने पर ट्रेप पार्टी को देखकर मौके से फरार हो जाने पर उक्तों के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) व 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। सुश्री भानुश्री उप पंजीयक बहादुरपुर की संदिग्ध भूमिका का अनुसंधान के दौरान स्थिति स्पष्ट की जावेगी। अतः आरोपितों के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही की प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जयपुर को प्रेषित है। (परमेश्वर लाल) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भिवाड़ी .....कार्यवाही पुलिस .....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री परमेश्वर लाल उप अधीक्षक पुलिस, भ्रनिब्यूरो भिवाड़ी ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 में आरोपी 1. श्री दिनेश मीना कनिष्ठ सहायक/रजिस्ट्री डिलीवरी लिपिक कार्यालय उप पंजीयक बहादुरपुर जिला अलवर 2. श्री यतेन्द्र कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी /रीडर/ पंजीयक लिपिक कार्यालय उप पंजीयक बहादुरपुर जिला अलवर के विरुद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई । उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार उप अधीक्षक पुलिस, भ्रनिब्यूरो अलवर-प्रथम को मनोनित किया गया है । उक्त की रोजनामचाआम रपट संख्या 231 पर अंकित है । (ज्ञानसिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर । क्रमांक 153-56 दिनांक 14.02.2025, प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है- 1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अलवर, 2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रनिब्यूरो जयपुर चतुर्थ, 3.महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग अजमेर, 4.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो भिवाड़ी । पुलिस अधीक्षक प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर ।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Mahendra Kumar Meena **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: [redacted]

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	14/08/1988				
2	Male	05/06/1993				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)